न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 11 / 2022 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2022 / 4

उनवान

1. मेघराम मीना पुत्र बदरी जाति मीना निवासी सलावद तहसील नादौती जिला करौली।

...अपीलांट।

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र बदरी जाति मीना निवासी सलावद तहसील नादौती जिला करौली।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नादौती।
3. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा नादौती।

....रेस्पोडेन्टगण।

उपस्थितः–

1. श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01।
3. श्री पैरोकार सरकार उपस्थित।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः 10.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली में दायर राजस्व वाद संख्या 86 / 2020 बउनवान बत्तीलाल बनाम मेघराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2022 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद अन्दर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद पत्र मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी नादौती के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 सगे भाई है। जिनकी संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नंबर 344 रकबा 1.21 है0, खसरा नंबर 359 रकबा 1.02 है0, खसरा नंबर 385 रकबा 0.44 है0, खसरा नंबर 407 रकबा 1.27 है0, खसरा 454 रकबा 0.23 है0, खसरा 513 रकबा 0.07 है0, खसरा 514 रकबा 0.08 है0 भूमि ग्राम सलावद तहसील नादौती जिला करौली मे स्थित है। जिस पर वादी व प्रतिवादी 1/2–1/2 हिस्से पर मौखिक बंटवारे अनुसार काबिज है। वादी के हिस्से की भूमि मुख्य रास्ते से पिछले हिस्से की है मुख्य रास्ते से लगती हुई प्रतिवादी संख्या 01 के हिस्से की भूमि है। वादी के अपने हिस्से

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

की भूमि पर आने जाने के लिए 15 फीट रास्ता बंटवारे के समय से प्रतिवादी की सहमति से दिया हुआ था, लेकिन प्रतिवादी के मन मे बदयान्ती आने से प्रतिवादी संख्या 01 ने रास्ता बंद कर दिया है तथा वादी के हिस्से की संपूर्ण हिस्से की आराजीयात को हथियाने के धमकी देता है। अतः अनुतोष चाहा गया कि प्रतिवादी संख्या 01 व वादी के मध्य उक्त विवादित आराजीयात का मौके के कब्जे के अनुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स तकासमा किया जावें, वादी को मुख्य रास्ते तक पहुंचने के लिए खसरा नंबर 407 रकबा 1.26 है0 मे से 15 फीट रास्ता उपलब्ध करवाया जावें। प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी संख्या 01 की पत्नि प्रकाशी व प्रतिवादी अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अनुतोष प्रदान करने मे सहमति जाहिर की। तत्पश्चात् मातहत अदालत ने वादी का वादपत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 11.02.2022 को निर्णय व डिक्री जारी करते हुए वर्णित आराजीयात का तकासमा विधिवत् करने के आदेश दिए, खसरा नंबर 407 मे से 15 फीट रास्ता दिए जाने के आदेश पारित किए। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की जा रही है।

3. अपील मीमों मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि खसरा नंबर 407 रकबा 1.27 है0 अपीलांट के हिस्से की भूमि है जिस मे 15 फीट चौडा रास्ता मौके पर मौजूद नही है जबकि मौके खसरा नंबर 408 के सहारे रास्ता नक्शा ट्रेस में बना हुआ है जिसमें होकर अपीलांट तथा रेस्पोडेन्ट नंबर 01 खसरा नंबर 403 की भूमि में आते जाते है। उसके उपरान्त भी अपीलांट के हिस्से की भूमि में होकर 15 फीट रास्ता देने का निर्णय एवं डिक्री मातहत अदालत गलत रूप से पारित की है जो निरस्त योग्य है। अपीलांट की पत्नि श्री प्रकाशी ने दिनांक 11.02.22 को अपने वकील के साथ न्यायालय में उपस्थित होकर वादी रेस्पोडेन्ट नंबर 01 द्वारा प्रस्तुत दावे के साथ नजरी नक्शा के अनुसार खसरा नंबर 407 में होकर 15 फीट भूमि रास्ते हेतु देने की सहमति बिलकुल नही दी थी मातहत अदालत ने रेस्पो0 संख्या 01 के साथ मिलकर पारित निर्णय एवं डिक्री में असत्य तथ्य अंकित किया है जो अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.22 को अपास्त किया जावें।

4. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि खसरा नंबर 407 रकबा 1.27 है0 मे होकर कभी कोई 15 चौडा रास्ता नही रहा है। इस भूमि मे खसरा नंबर 407, 408 तथा रास्ते की दुसरी ओर खसरा नंबर 398, 399 व 400 के मध्य होकर पूर्व से ही रास्ता बना हुआ है जिसमें होकर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट नंब 01 निकलते आ रहे है तथा उक्त रास्ते को उपयोग उपभोग

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

करते आ रहे है। उसके पश्चात् भी मातहत अदालत द्वारा अपीलांट के हिस्से की आराजीयात खसरा नंबर 407 मे से 15 फीट चौडा रास्ता दिया जाना विधि विपरीत है, क्योंकि यदि किसी भूमि पर पहले से कोई रास्ता मौजूद है तो सुविधानुसार रास्ता नही दिया जा सकता। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें, मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री 11.02.22 को अपास्त किया जावें।

6. जवाब बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने कथन किया कि मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय उभयपक्ष की सहमति से पारित किया गया है। यह अपील रेस्पोडेन्टगण को नाजायज परेशान करने की गरज से की गई है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

7. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

8. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत 2070–2074 वाके ग्राम सलावद भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गढ़खेडा तहसील नादौती के अनुसार खसरा नंबर 344, 359, 385, 407, 454, 513, 514, 515 कुल किता 08 कुल खसरा नंबर 4.39 है0 अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के नाम हिस्सा बराबर दर्ज रिकार्ड है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अनुसारः

53(1) विलोपित

(2) जोत का विभाजन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा–

(i) सह अभिधारियों के बीचः

(क) जोत के ऐसे विभाजन, और

(ख) उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें जोत उक्त प्रकार से विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के बारे में करार द्वारा, या

(ii) एक या अधिक सह–अभिधारियों द्वारा जोत के विभाजन के प्रयोजनार्थ और उसके उन विभिन्न प्रभागों, जिनमें वह विभाजित की जाये, पर लगान के वितरण के प्रयोजनार्थ किसी वाद में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी डिक्री या आदेश द्वारा।

उक्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार विभाजन जब तक विधिक मामला नही जब तक लगान का पृथक–पृथक निर्धारण नही हो।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के कियान्वयन के लिए राजस्थान काश्तकारी नियम (राजस्व मण्डल) 18–21 की प्रकिया संहित की गई है। राजस्व विभाग के परिपत्र (आदेश) अनुसार बंटवार स्कीम तैयार करते समय रास्ता का भी प्रावधान अनिवार्य है ताकि भविष्य मे कोई वाद कारण उत्पन्न नही हो। परन्तु विभाजन मय रास्ता का प्रावधान राजस्थान काश्तकारी नियम (राजस्व मण्डल) 18–21 के अनुसार होने है। प्रथम अदालत मातहत द्वारा अपने आलौच्य निर्णय मे " मौके पर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

जाकर वादी व प्रतिवादी नंबर 01 की वादग्रस्त भूमि की मौके व कब्जा काश्त अनुसार वादग्रस्त आराजीयात में पहूंच मार्ग रखते हुये बंटवारा स्कीम तीन प्रतियों में तैयार कर आगामी पेशी से पूर्व न्यायालय हाजा मे पेश करे " तक का तो विधिक अनुसार निर्णय पारित किया है, परन्तु उसके आगे " साथ ही भूमि खसरा नंबर 407 में रास्ता 15 फीट वादपत्र के साथ पेश नजीर नक्शे के मुताबिक लाल रंग से प्रदर्शित भाग को रास्ता घोषित किया जाता हैं व प्रतिवादी नंबर 01 का हिस्सा बदस्तूर रहन प्रतिवादी नंबर 03 के यथावत रहे" विधि विपरीत (नियम 18–21 की पालना किये बिना) निर्णय पारित किया है।

प्रथमः– एक तरफ तो विभाजन स्कीम मे " वादग्रस्त आराजीयात के पंहुच मार्ग रखते हुए बंटवार स्कीम" के आदेश हैं परन्तु इसके विपरीत " भूमि खसरा नंबर 407 मे 15 फीट वाद पत्र के साथ नजरी नक्शे के मुताबिक लाल रंग से प्रदर्शित भाग को रास्ता घोषित किया जाता है" का आदेश दिया गया है स्वयं ही विरोधाभासी है। बिना राजस्थान काश्तकारी नियम (राजस्व मण्डल) नियम 18–21 के पालना किए रास्ता घोषित करना अविधिक है। अतः मातहत अदालत का निर्णय अपास्त योग्य है।

द्वितीयः– अदालत मातहत द्वारा सहमति के आधार पर "निर्णय" का विवेचन किया गया है , अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 11.02.22 मे प्रकाशी के हस्ताक्षर का अंकित किए गए है लेकिन वह जब मुकदमे मे पक्षकार ही नही है तो क्यों अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिए ही निर्णय पारित किया गया है, व रास्ता घोषित किया गया जो अवैधानिक है। इस कारण भी निर्णय अपास्त योग्य है।

9. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाती है कि मातहत अदालत के मुकदमा नंबर 86 / 2020 बउनवान बत्तीलाल बनाम मेघराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2022 को **इस हद तक खारिज किया जाता है कि** " भूमि खसरा नंबर 407 मे 15 फीट वाद पत्र के साथ नजरी नक्शे के मुताबिक लाल रंग से प्रदर्शित भाग को रास्ता घोषित किया जाता है " शेष निर्णय यथावत रखे जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावें।
10. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 11.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीणा) 11.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

डिक्री अपील

(ओ.41, रूल 35 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–बइजलास श्री हरिराम मीना आर. ए. एस. राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

उनवान

1. मेघराम मीना पुत्र बदरी जाति मीना निवासी सलावद तहसील नादौती जिला करौली।

...अपीलांट।

बनाम

1. बत्तीलाल पुत्र बदरी जाति मीना निवासी सलावद तहसील नादौती जिला करौली।
2. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार नादौती।
3. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ बडौदा, शाखा नादौती।

....रेस्पोडेन्टगण।

अपील संख्या :11/2022 (धारा 223 आर.टी.एक्ट)
जी.सी.एम.एस संख्या :2022/4 **दिनांक 10.07.2023**

अपील विरूद्व आज्ञाः उपखण्ड अधिकारी नादौती

यह अपील व तारीख 10.07.2023 रूबरू हमारे व हाजरी श्री राधेश्याम वैष्णव अधिवक्ता अपीलांट व हाजरी श्री श्याम मोहन शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट श्री पैरोकार सरकार एड. मिनजानिब रेस्पो. समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाती है कि मातहत अदालत के मुकदमा नंबर 86/2020 बउनवान बत्तीलाल बनाम मेघराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 11.02.2022 को **इस हद तक खारिज किया जाता है कि** " भूमि खसरा नंबर 407 में 15 फीट चाद पत्र के साथ नजरी नक्शे के मुताबिक लाल रंग से प्रदर्शित भाग को रास्ता घोषित किया जाता है " शेष निर्णय यथावत रखे जाता है।

मुहर

11.7.23
हस्ताक्षर अधिकारी व मुहर
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner